



(95)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर केम्प, उज्जैन, म०प्र०

प्रकरण क्रमांक :-

R 364/1/06

श्री अम. जी. चट्टिया
कान. डा. 21 उत्तर
उज्जैन

20/2/06

लालू पिता श्री बापू, बलाई, निवासी -
ग्राम - कबूलपुर, तह० - मोमन बड़ोदिया,
जिला - शाजापुर, म०प्र०

-----आवेदक.

विरुद्ध

म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर, शाजापुर, म०

-----अनावेदक.

॥ पुनःनिष्पत्ति याचिका अन्तर्गत धारा- 50 भू-राजस्व संहिता ॥

माननीय महोदय,

न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय उज्जैन, सम्भाग उज्जैन,

के प्रकरण क्रमांक - 107/04-05 अपील में पारित अन्तिम आदेश दिनांक :-
24-10-2005 से असन्तुष्ट होकर आवेदक लालू पिता श्री बापू, बलाई की
ओर से निम्नानुसार संहानुभूमि पूर्वक विचार किया जाकर सुनवाई किये
जाने हेतु सादर प्रस्तुत हैं :-

1/- यह कि, आवेदक लालू पिता श्री बापू बलाई की ओर
से एक अपील अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय, उज्जैन सम्भाग-
उज्जैन में श्रीमान कलेक्टर महोदय, शाजापुर, म०प्र० द्वारा पारित निर्णय
दिनांक :- 30/10/2004 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई हैं । जिस पर
गुण-दोषी पर विचार नहीं करते हुये विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा
अपील निरस्त कर दी गई जिस पर अपीलार्थ माननीय न्यायालय से इस
पुनःनिष्पत्ति याचिका के माध्यम से याचिका प्रस्तुत कर सुनवाई चाहता हैं ।

2/-

यह कि, याचिका कर्ता लालू पिता श्री बापू बलाई
की मालीदार. तह० - मोमन बड़ोदिया द्वारा ग्राम - कबूलपुर, तह० -

R 364-E/06 शाजापुर

20-1-17

DD

आवेदक अधिवक्ता व आवेदक पक्ष पूर्व
से सूचना उपरोक्त अनुपात्तित । आवेदक
पक्ष व उनके अधिवक्ता को समय समय
पर तीन बार पुकार लगावाई गई, परन्तु
आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपस्थिति नहीं
हुआ । उल्लेख आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति
में अदमपैरवी में रजिस्ट्रार विन्ना जाता है।

[Signature]

[Signature]
अधिवक्ता